पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 235/2024 दिनांक- 28.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दि0 28.07.2024 को वादी मुकदमा राजाराम पुत्र स्व0 चन्द्रजीत यादव ग्राम दरियापुर आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि बलिकरन राजभर ग्राम गुवाई थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ का लड़का नाम पता अज्ञात के द्वारा मो0 साइकिल से वादी मुकदमा के लड़के दिलीप को टक्कर मार देना तथा मौके पर बेहोश हो जाना दौराने इलाज जौनपुर ले जाते समय मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 198/24 धारा 281/106 बीएनएस पंजीकृत हुआ दौराने विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्त गुलशन पुत्र रामदवर निवासी ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मो0 सा0 से टक्कर मारा गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 28.07.24 उ0नि0 विनोद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गुलशन पुत्र रामदवर निवासी ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पल्थी बाजार से समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 198/24 धारा 281/106 बीएनएस थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.गुलशन पुत्र रामदवर निवासी ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1 .उ0नि0 विनोद कुमार यादव हे0का0 गुलाब यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

थाना- रौनापार

धोखाधड़ी में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व 03 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

आवेदक श्री रामनवल पुत्र खदेरु उर्फ खेदू ग्राम मौजा देवारा गरीब दूबे थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के मा0 न्यायालय के आदेशानुसार थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 63/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम 1.काशी गोतमी संयुक्त ग्रामीण बैंक रौनापार प्रबन्धक नाम पता अज्ञात 2. फिल्ड अफसर नाम पता अज्ञात 3. एक व्यक्ति अज्ञात 4.दो व्यक्ति गवाहान नाम पता अज्ञात के विरुध्द दिनांक 07.03.23 को पंजीकृत किया गया।

जिसमे बाद विवेचना काशी गोमती संयुक्त ग्रामिण बैंक रौनापार के सहायक प्रबन्धक 1.जय प्रकाश सिंह पुत्र बृजराज सिंह निवासी ग्राम करखिया रुस्तम सराय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व वरिष्ठ प्रबन्धक 2.श्याम नरायन राम पुत्र स्व0 बद्रीराम निवासी ग्राम कोल पाण्डेय रामयन मार्केट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मूल पता ग्राम भौर्रा मकबूलपूर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ , 3. अरविंद यादव पुत्र अभिमन्यु निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार आजमगढ़,4. अनिल पुत्र देवमन निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 5. अरविन्द पुत्र विनाचल ग्राम छपरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे लाया गया।

मुकदमा उपरोक्त मे दिनांक 01.11.2023 को अभियुक्तगण 1.जय प्रकाश सिंह पुत्र बृजराज सिंह निवासी ग्राम करखिया रुस्तम सराय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ व वरिष्ठ प्रबन्धक 2.श्याम नरायन राम पुत्र स्व0 बद्रीराम निवासी ग्राम कोल पाण्डेय रामयन मार्केट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मूल पता ग्राम भौर्रा मकबूलपूर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को तथा दिनांक 20.07.24 को अभियुक्त अनिल पुत्र देवमन निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण-

व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह फोर्स के आज दिनांक 28.07.24 को चालाकपुर पुलिया से अभियुक्त अरविन्द पुत्र विनाचल उर्फ विन्धयालय निवासी ग्राम छपरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष को समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसको मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 63/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 63/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1-अरविन्द पुत्र विनाचल उर्फ विन्धयालय निवासी ग्राम छपरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।

विदेश में रह रहे दोस्त का वीजा निरस्त होनें एवं उसको रिनुवल कराने के नाम पर किये गये ठगी के रूपये 80,000/- बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के द्वारा साइबर क्राइम अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी** के मार्गदर्शन में साइबर सेल जनपद आजमगढ़ द्वारा कार्यवाही करते हुए विदेश में रह रहे दोस्त का वीजा रिनुवल कराने के नाम पर ठगी किए गए रूपये 80000 वापस कराये गये।

घटना का विवरण-

आवेदक मो0 सारीब जनपद आज़मगढ़ के थानाक्षेत्र निजामाबाद का रहने वाला है । आवेदक के फेसबुक पेज पर विदेश में नौकरी करने वाले उसके दोस्त के नाम की फेसबुक आईडी से मैसेज आया कि हमारा वीजा एक्सपायर हो गया है मुझे इमिग्रेशन वालों नें पकड़ लिया है । मुझे तत्काल 80 हजार रूपया चाहिए जिसे देकर मैं अपना वीजा रिनुवल करा सकता हूँ। नहीं तो मुझे जेल भेज दिया जायेगा । मेरे पास बस 1 घंटा है । मुझे 80 हजार दे दो । मै तुम्हे वापस कर दूँगा। इस पर आवेदक ने जल्दवाजी में फ़ेसबुक के माध्यम से भेजे गये क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसे भेज दिया । उसके बाद जब आवेदक ने अपने दोस्त से आईएमओ ऐप पर वार्ता किया तो ज्ञात हुआ कि उसको वीजा सम्बन्धित कोई समस्या नहीं हुयी थी । किसी ने फेक आईडी बनाकर बात किया है । दोस्त ने बताया कि तुम्हारे साथ साइबर फ्राड हो गया है ।

कार्यवाही- उक्त घटना की सूचना आवेदक द्वारा साइबर सेल में दिया गया । साइबर सेल द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक द्वारा भेजे गये पैसे के बेनिफिसरी खाते को ट्रैक करते हुए तत्काल सम्बन्धित खाते की लेन-देन पर रोक लगवा दिया गया । जिसके पश्चात सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर आवेदक का पूरा पैसा वापस कराया गया।

जनसामान्य से अनुरोध- किसी भी सोशल मीडिया एकाउण्ट जैसे फेसबुक/इन्सटाग्राम/व्हाट्सऐप आदि से किये गये मैसेज/काल पर तत्काल विश्वास न करें, विशेषकर तब जब पैसा माँगा जा रहा हो । साइबर अपराधियों द्वारा लोगों के सोशल मीडिया एकाउण्ट को कापी कर उसी नाम एवं फोटो को प्रयोगकर फेक एकाउण्ट बनाकर मैसेज कर पैसों की मांग की जाती है।

वरामदगी साइबर टीम-

01. मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल **साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।**
02. मु0आ0 मुकेश भारती **साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।**
03. आरक्षी सतेन्द्र यादव **साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।**
04. आरक्षी राहुल सिंह **साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।**